कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला बड़वानी (म.प्र.)

क्रमांक/3230 /अनु.लि./2020, बड़वानी दिनांक 25/07/2020

-::आदेश ::-

नोवेल कोरोना वायरस **(COVID-19)** बिमारी के संक्रमण से बचाव हेतु जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के निर्देश दिनांक 20-7-2020 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3158/अनु.लि./2020, बडवानी, दिनांक 21.7.2020 व्दारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण बडवानी जिले के लिए तत्काल प्रभाव जारी किया गया था। दिनांक 24-7-2020 को आयोजित डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त जारी आदेश में संशोधन करते हुए **मैं शिवराज सिंह वर्मा, जिला दण्डाधिकारी जिला बडवानी** दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण बडवानी जिले के लिए तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक जारी करता हूं:-

1- **जिले में दिनांक 26 एवं 27 जुलाई 2020 एवं आगामी माह में दिनांक 01, 02 तथा 03 अगस्त 2020 को नगरीय क्षेत्र** बडवानी, अंजड, राजपुर, सेंधवा, पानसेमल, खेतिया, पलसूद तथा **ग्रामीण क्षेत्र** पाटी, सिलावद, जुलवानिया, ओझर, नागलवाडी, बरूफाटक, ठीकरी, दवाना, मण्डवाडा, निवाली, वरला, बलवाडी में पूर्णतः लाकडाउन रहेगा ।

2- जिले में जिन स्थानों पर हाट बाजार लगता हैं उस दिन वहां पर पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा।

3- कोई भी आगामी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जावेगा । सर्व संबंधितों से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरो में ही धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन करेंगे । किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाना प्रतिबंधित रहेगा ।

-2-

Scanned with CamScanner

4- सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित की जाना प्रतिबंधित रहेगा । सर्व संबंधितों से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरो में पूजा/उपासना करेंगे ।

5- धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हो । साथ ही उपासना स्थलों पर स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग के जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए फेस कवर (मास्क) एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कढाई से पालन सुनिश्चित करना होगा ।

6- विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी । इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे । इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित रहना प्रतिबंधित रहेगा ।

7- अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति से अधिक सम्मिलित होना प्रतिबंधित रहेगा ।

8- जिले में राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारियों की उपस्थिति एवं शत-प्रतिशत अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना होगा । शासकीय एवं निजी संस्था में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के व्दारा जारी प्रोटोकाल अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

9- राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय सामान्य रूप से खुले रह सकेंगे ।

10- सार्वजनिक स्थलों पर बिना फेस मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं कोविड-19 रेग्यूलेशन के तहत स्पाट फाईन अधिरोपित किया जावेगा ।

11- गृह विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग व्दारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का कढाई से पालन करना होगा ।

12- लाकडाउन के दिन अत्यावश्यक सेवाऐं जैसेः- दूध, फल, मेडिकल, पेट्रोल पंप, शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय, प्रतिबंध से मुक्त रहेगें ।

-3-

Scanned with CamScanner

13- सम्पूर्ण जिले में अत्यावश्यक सेवाओं को छोडकर शेष समस्त गतिविधियां रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी ।

इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 (1) के अंतर्गत जन संपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो व दूरदर्शन पर जन सामान्य/संबंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जाय । संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी इस आदेश से सामान्य जन व संबंधितों को अवगत करावें।

अतः उक्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा । आज दिनांक 25-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया ।

25/07/2020

(शिवराज सिंह वर्मा)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला बड़वानी म.प्र.

पृ0क्रमांक/3231 /अनु.लि./2020, बड़वानी दिनांक 25/07/2020

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर।
2- पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर रेंज इंदौर।
3- उपपुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेंज खरगोन।
4- पुलिस अधीक्षक, जिला-बड़वानी की ओर उक्त आदेश का कढाई से पालन कराया जावे ।
5- अपर जिला दण्डाधिकारी बडवानी ।
6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला बडवानी ।
7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बडवानी ।
8- जिला परिवहन अधिकारी जिला बडवानी ।
9- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बडवानी ।
10- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग बडवानी ।
11- जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला-बडवानी ।

Scanned with CamScanner

12- जिला आयुष अधिकारी, जिला बडवानी ।

13- प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक जिला बडवानी ।

14- डिस्ट्रीक कमाण्डेन्ट जिला बडवानी की ओर आदेश पालन कराने हेतु ।

15- कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बडवानी ।

16- उप संचालक पशु चिकित्सास सेवाएं बडवानी ।

17- जेल अधीक्षक, जिला बडवानी ।

18- अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी बडवानी ।

19- डाकपाल डाकघर बडवानी ।

20- सहायक आयुक्त, सहकारिता बडवानी ।

21- उप संचालक कृषि किसान कल्याण विभाग बडवानी ।

22- अनुविभागीय दण्डाधिकारी/बड़वानी/राजपुर/सेंधवा/पानसेमल की ओर उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करायें ।

23- अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस बड़वानी/सेंधवा/राजपुर।

24- तहसीलदार/ नायब तहसीलदार बड़वानी/अंजड़ /राजपुर/सेंधवा/पानसेमल/निवाली/वरला/पाटी/ठीकरी/खेतिया/पलसूद ।

25- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/बडवानी/पाटी/राजपुर/ठीकरी/सेंधवा/निवाली/पानसेमल/

26- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बड़वानी/ अंजड़/ सेंधवा/ राजपुर/ खेतिया/ पानसेमल/पलसूद की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की मुनादी कराकर सर्वसाधरण को सूचित करें ।

27- थाना प्रभारी (समस्त)......................जिला बड़वानी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

28- सहायक संचालक, जनसम्पर्क बड़वानी की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सर्वसाधरण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ।

29- कार्यालय अधीक्षक/स्टेनो टू कलेक्टर/रीडर टू कलेक्टर कलेक्टोरेट बडवानी।

30- प्रभारी अधिकारी कन्ट्रोल रुम कलेक्टोरेट बडवानी ।

25/07/2020

जिला दण्डाधिकारी,
जिला बड़वानी म.प्र.

Scanned with CamScanner